



राजस्थान सरकार
संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
70/87-88 पटेल मार्ग, मानसरोवर, जयपुर

email id- dlo.jaiu@rajasthan.gov.in
क्रमांक: /सा.न्या.अ.वि./2026/10977

दिनांक 13.07.2026

प्रेस - विज्ञप्ति

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित अंत्येष्टि अनुदान योजनान्तर्गत लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का सम्मान एवं विधि-विधान पूर्वक अंतिम संस्कार (दाह संस्कार) करने की ईच्छुक पंजीकृत स्वयं सेवी संस्थाएं जो कि निराश्रित एवं बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हो ऐसी संस्थाओं के चयन के प्रस्ताव दिनांक 25.07.2026 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन-पत्र एवं प्रस्ताव कार्यालय समय में कार्यालय संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर शहर जमा करवाये जा सकते हैं, एवं आवेदन पत्र व अन्य शर्तें विभागीय वेबसाइट SJE.RAJASTHAN.GOV.IN पर डाउनलोड कर सकते हैं।


संयुक्त निदेशक
सामा. न्याय एवं अधि. विभाग
जयपुर



राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
अंत्येष्टि योजना आवेदन प्रपत्र

1. स्वयंसेवी संस्था का नाम
2. स्वयंसेवी संस्था का पूर्ण पता (ई-मेल सहित).....
3. स्वयंसेवी संस्था का दूरभाष नं.....
4. क्या संस्था भारतीय सोसायटी पंजीकरण अधिनियम/ट्रस्ट व कम्पनी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत है, (संलग्न)
5. यदि हाँ तो पंजीयन क्रमांक व दिनांक
6. संस्था का निराश्रित व बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत हाँ अथवा पूर्ण कार्य अनुभव हाँ, अनुभव की प्रमाणित प्रति एवं अनुभवी संस्था को प्राथमिकता दी जायेगी।
7. संस्था की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो।
8. संस्था को पूर्व में किसी भी प्रकार से दण्डित नहीं किया गया हो या ब्लैक लिस्टेड नहीं हो।
9. संस्था अपने स्तर पर लावारिस अथवा निराश्रित मृतक का पूर्ण विधिविधान से तत्काल अपने स्तर पर अंतिम संस्कार करने एवं इस योजनान्तर्गत निर्धारित राशि का पुनर्भरण राज्य सरकार से प्राप्त करने पर सहमत हो।
10. गत तीन वर्षों की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संलग्न करें। ()
11. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट संलग्न करें। ()
12. संस्था का आयकर अधिनियम की धारा 1961 की धारा 12 ए के अन्तर्गत पंजीयन है/नहीं (संलग्न करें)
13. संस्था का नीति आयोग के दर्पण पोर्टल पर पंजीयन (संलग्न करें) । हाँ/नहीं
14. क्या संस्था अन्य गतिविधियाँ भी संचालित कर रही है (संलग्न करें) । हाँ/नहीं
15. यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दें.....
16. क्या संस्था भारत सरकार/राज्य सरकार से किसी अन्य योजना में अनुदान प्राप्त कर रही है हाँ/नहीं
17. यदि हाँ तो स्वीकृत अनुदान की गत तीन वर्षों का विवरण दें। ()
18. क्या संस्था विदेशी अनुदान प्राप्त कर रही है। ()
19. यदि हाँ तो तीन वर्ष का विवरण दें। ()
20. क्या संस्था के पास गृह संचालन हेतु पर्याप्त भवन उपलब्ध है, नहीं तो किरायानामा की फोटों प्रति मय नक्शा संलग्न करें। ()
21. यदि हाँ तो भवन पूर्ण विवरण संलग्न करें।
22. अन्य विवरण जो आवश्यक हो, संलग्न करें।

संस्था प्रधान
हस्ताक्षर मोहर सहित